

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प खट्टावा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खट्टावा
व भू.अ.नि. कोटिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगटा /नायब
तहसीलदार रेलमगटा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खट्टावा तहसील रेलमगटा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 334, 335, 336, 466
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>खट्टावा</u>	334	<u>रामा प्रिया किराना जाट</u>	<u>रामलाल प्रिया किराना जाट</u>
		335	<u>u</u>	<u>u</u>
		336	<u>u</u>	<u>u</u>
		466	<u>u</u>	<u>u</u>


उपखण्ड अधिकारी


लोक अदालत
रेलमगटा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगटा

क्रमांक:- 322

दिनांक :- 10/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगटा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री रामलाल जाट को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगटा